न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 105/2013 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2013/00921

दायर दिनांक :– 23.09.2013 निर्णय दिनांक :– 10.02.2025

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुरती पत्नि कुशलाराम के कायम मुकाम 1/1 श्रीकिशन पुत्र लाधूराम 1/2 मोहनराम पुत्र लाधूराम 1/3 नवरंग पुत्र लाधूराम 1/4 धाई देवी पुत्री लाधूराम 1/5 शांति पुत्री लाधूराम 1/6 चावली देवी पुत्री लाधूराम 1/7 सपु पुत्री लाधूराम 2. पालू पुत्री कुशलाराम पत्नि सालगराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर हाल निवासी फूलासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर		1. प्रतापाराम पुत्र पांचाराम (रेकर्ड में दर्ज गोदपुत्र कुशलाराम) 2. जीवणी पुत्री कुशलाराम पत्नि गणपतराम विश्नोई निवासी कानासर हाल निवासी ननेऊ 3. पांचाराम पुत्र नारा फौत के उतराधिकारी एवं वारिसान 3/1 बगडूराम पुत्र पांचाराम 3/2 सहीराम पुत्र पांचाराम 3/3 भवंरूराम पुत्र पांचाराम 3/4 भाखरराम पुत्र पांचाराम 3/5 प्रतापाराम पुत्र पांचाराम 3/6 तुलसी पत्नि पांचाराम 4. मालाराम पुत्र प्रहलादराम सभी जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर 5. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा नोख जैसलमेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादीगण

2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रति. सं. 1

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता कुशला वल्द खेताा व नारा वल्द हरखा की सामलाती खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1663 रकबा 106 बीघा सरहद मौजा कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। जिसका पर्चा लगान वक्त सेटलमेंट कुशला व नारा के नाम जारी हुआ। कुशला व नारा दोनो फौत हो चुके है नाराराम फौत होने पर उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में नाराराम के 1/2 हिस्से के स्थान पर पांचाराम व मालाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। इस प्रकार उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 3 पांचाराम व 4 मालाराम 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता कुशलाराम की दर्ज हुई। प्रतिवादी सं. 3 पांचाराम व 4 मालाराम ने अपने 1/2 हिस्से की रकबा 53 बीघा भूमि पूरी दिनांक 16.06.1975 को जरिये रजिस्ट्री भैराराम भगवानाराम सहीराम पिसरान आदुराम विश्नोई निवासी लोहावट को बैचान कर दी जो 53 बीघा भूमि नामान्तरकरण सं. 51 मौजा कानासर के जरिये खरीदारान भैराराम, भगवानाराम, सहीराम के नाम अलग से नये खसरा नम्बर 1663/1 रकबा 53 बीघा कायम होकर अलग से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। खसरा नम्बर 1663 की शेष रही 53 बीघा भूमि कुशला पुत्र खेता के हिस्से की रही जिसमें प्रतिवादी सं. 3 व 4 का पांचाराम व मालाराम का कोई हक हिस्सा नहीं रहा। कुशला फौत हो चुका है उसके उतराधिकारी एवं वारिसान उपरोक्त वंशावली अनुसार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की प्रथम श्रेणी के तहत उसकी जायन्दा पुत्रीयां वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 ही है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 के अलावा अन्य कोई भी मुतवफी कुशलाराम का उतराधिकारी व वारिस नहीं है इसलिये मुतवफी कुशलाराम की खातेदारी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 1663 रकबा 53 बीघा मौजा कानासर की कानूनी हकदार वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 है जो कुशलाराम फौत होने के बाद उक्त भूमि पर काबिज हुई जिनका कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है मौके पर वादीगण की उक्त भूमि में अपने पिता स्व. कुशलाराम के जीवनकाल की बहुत ही पुरानी रहवासी ढाणी बनी हुई है जिसमें वादीगण अपने परिवार सहीत 12 ही मास निवास करती आ रही है और उक्त भूमि खसरा नम्बर 1663 रकबा 53 बीघा में आज दिन तक लगतार हर वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेती आ रही है। खसरा नम्बर 1663 की उक्त 53 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं. 3 पांचाराम व 4 मालाराम का कोई हक हिस्सा नही रहा लेकिन उन्होने अपने हिस्से की पूरी भूमि बैचान कर दिये जाने के बावजूद भी शेष रही उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में पटवारी हल्का से मिलावट कर पूर्व अनुसार यथावत दर्ज रखवा दिये जो सरासर गलत होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध बेअसर व शुन्य है। प्रतिवादी सं. 1 प्रतापाराम जो कि प्रतिवादी सं. 3 पांचाराम पुत्र नाराराम का जाईन्दा पुत्र है जिसका कुशलाराम की हिस्से की उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है न ही व कुशलाराम का गोद अथवा जाईन्दा पुत्र ही है और न ही वह कुशलाराम का कानूनी वारिस ही है। उक्त भूमि कुशलाराम की खातेदारी की जमीन है कुशलाराम फौत होने के बाद उक्त भूमि की कानूनी हकदार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रथम श्रेणी के तहत उसकी कानूनी वारिस उसके जाईन्दा पुत्रीयां वादीगण प्रतिवादी सं. 2 ही है लेकिन वादी के पिता कुशलाराम फौत होने पर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ने पटवारी हल्का से मिलावट कर प्रतिवादी सं. 1 प्रतापाराम को कुशलाराम का नामान्तरकरण के कॉलम नं. 11 में पुत्र बताकर व बाद में कांट छांट कर प्रतापाराम के आगे अलग स्याही से गोद अंकित कर तथा नामान्तरकरण के विशेष विवरण के कॉलम में प्रतापाराम को कुशलाराम का सगा भतीजा व वारिस बताकर कुशलाराम के फौतदगी का उक्त भूमि का नामान्तरकरण सं 366 मौजा कानासर प्रतिवादी सं. 1 के हक में भरकर स्वीकृत करवा लिया जो सरासर गलत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत और फर्जीवाड़ा की विनाय पर आधारित होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध बेअसर व शुन्य है। नामान्तरकरण सं. 366 मौजा कानासर स्वीकृत करने से पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कानासर ने मुतवफी कुशलाराम के हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत सही वारिसान की कोई जांच नहीं की न ही उसकी कानूनी वारिस उसकी जाईन्दा पुत्रीयां वादीगण को कोई नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया न ही उक्त भूमि के कब्जे बाबत कोई जांच की नामान्तरकरण सं. 366 मौजा कानासर की स्वीकृत बाबत तमाम कार्यवाही वादीगण के बैक में फर्जी की है। मुतवफी कुशलाराम की हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की प्रथम श्रेणी के तहत उतराधिकार व वारिसान उसकी जाईन्दा पुत्रीया वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 ही है जो कुशलाराम फौत होने के बाद उक्त भूमि पर काबिज हुई जिनका कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 1 प्रतापाराम जो कि मुतवफी कुशलाराम का गोद अथवा जाईन्दा पुत्र नहीं है न ही वह कुशलाराम का भतीजा अथवा नजदीकी रिश्तेदार ही है। प्रतापाराम प्रतिवादी सं. 3 पांचाराम पुत्र नाराराम का जाईन्दा पुत्र है जिसे मुतवफी कुशलाराम ने अपने जीवनकाल में कभी भी गोद नहीं लिया न ही उसके हक में विधि अनुसार कोई गोदनामा ही तहरीर किया है और न ही कभी भी गोद लेने अथवा देने की कोई रस्म ही अदा की गई और न ही एसा कोई गोदनामा प्रभाव में ही है अगर प्रतिवादी सं. 1 पास ऐसा कोई गोदनामा है तो यह सरासर फर्जी है जिसकी कानूनी कोई अहमीयत नहीं है और न ही प्रतिवादी सं. 1 उक्त भूमि पर आज दिन तक भी भी कब्जा व काश्त ही रहा है। प्रतिवादी सं. 1 प्रतापाराम मुतवफी कुशलाराम का कोई उतराधिकारी वारिस नहीं है इसलिये उक्त नामान्तरकरण सं. 366 मौजा कानासर सरासर गलत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरित प्रचलित नामान्तरकरण की प्रकिया के साधारण नियमों के खिलाफ और प्राकृतिक एवं नैर्सिगक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होने से काबिल खारिज के है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1663 रकबा 106 बीघा वादीगण के पिता कोशलाराम व प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 के पूर्वज नाराराम दोनो की बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदारी

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

की भूमि जो उक्त सेटलमेंट तीनो के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। नारायणराम फौत होने के बाद नारायणराम के हिस्से की भूमि उसके वारिसान प्रतिवादी स. 3 व 4 के नाम दर्ज हुई जो प्रतिवादी स. 3 व 4 ने अपने हिस्से की पूरी भूमि रकबा 53 बीघा दिनांक 16.6.1975 को जरिये रजिस्ट्री भैराराम, भगवानाराम व सहीराम को बेचान करदी जो नामान्तरकरण स. 51 मौजा कानासर के जरिये खरीददार के नाम अलग से नये खसरा नम्बर 1663/1 रकबा 53 बीघा कायम होकर राजस्व रेकर्ड में अलग दर्ज हुई खसरा नम्बर 1663 की शेष 53 बीघा भूमि कुशलाराम की खातेदारी की रही जो कुशलाराम के फौत होने पर उसके कानूनी हकदार उसकी जाईन्दा पुत्रीया वादीगण व प्रतिवादी स. 2 तीनों की हुई जो तीनो मुतवफी कुशलाराम फौत होने के बाद उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक काबिज चली आ रही है जिनके कब्जा काश्त में आज दिन तक किसी ने किसी प्रकार की दखल अदाजी नहीं की लेकिन अभी जमीन की कीमते अत्यधिक बढ जाने की वजह से और उक्त भूमि के वर्तमान गलत व विधि विरूद्ध राजस्व ईन्द्राजात की आड में प्रतिवादी स. 1 तथा 3 से 5 वादीगण को उक्त भूमि से जोर जबरदस्ती बेदखल करने पर उतारू है जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है अपने इसी नापाक इरादे से अभी दिनांक 25.08.2010 को वादीगण उक्त भूमि में खड़ी फसल बाजरी, ग्वार, तिल का निदान कर रही थी कि प्रतिवादीगण स. 1 तथा 3 से 5 हाथों में लाठीया लेकर हमलावर होके उक्त भूमि में आये और वादीगण को निदान करने से मना किया तथा उक्त भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की उस दिन तो वादीगण ने उन्हे समझा बुझाकर निकाल दिया लेकिन जाते समय प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी है ये जमीन वर्तमान राजस्व रेकर्ड में हमारे नाम दर्ज है इसलिए जमीन का कब्जा छोड दो वरना हम तुम्हे जोर जबरदस्ती बेदखल करके बलपूर्वक कब्जा करके रहेंगे। इसलिये वर्तमान अनुसार उक्त भूमि राजस्व रकर्ड में दर्ज रहते वादीगण का अब उक्त भूमि से काश्त करना कठीन हो गया है इसलिये वादीगण दावेदार है वे उक्त भूमि खसरा नम्बरर 1663 रकबा 53 बीघा मौजा कानासर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 के नाम से राजस्व इन्द्राजात निरस्त करवाने तथा प्रतिवादी सं. 1 के हक में भरा जाकर स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण सं. 366 मौजा कानासर और उसके बाद के प्रतिवादीगण सं. 1 तथा 3 व 4 के नाम के तमाम राजस्व इन्द्राजात एवम प्रतिवादी सं. 5 के नाम के रहन दर्ज किये जाने के इन्द्राजात निरस्त करवाकर उक्त भूमि ग्राम कानासर के खसरा नम्बर 1663 रकबा 53 बीघा वादीगण अपनी प्रतिवादी सं. 2 की खातेदारी घोषित करवाने की अधिकारी है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश गोदारा ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल गैर हाजिर लिहाजा इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब पेश किया कि कुशला के कोई पुत्र नहीं होने से उसने अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापाराम को गोद ले लिया था जी कुशला का गोद पुत्र है। नारायणराम के फौत होने पर उसके स्थान पर पांचाराम व मालाराम के नाम दर्ज किये गये। रकबा 53 बीघा भूमि का बेचान दिनांक 16/6/1975 को पांचाराम, मालाराम व कुशलाराम तीनों द्वारा किया गया था जिसके आधार पर भैराराम भगवानाराम व सहीराम के नाम खातेदारी दर्ज की गई थी। खसरा नम्बर 1663 की शेष 53 बीघा भूमि अकेले कुशला की नहीं रहकर पांचाराम, मालाराम व कुशलाराम की तीनो की रही थी। कुशला ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापा को गोद पुत्र ले लिया था जिसका गोदनामा दिनांक 23.8.77 को बीरा बेवा कुशलाराम द्वारा स्टाम्प पर तहरीर किया गया जिसकी नकल पेश है। कुशलाराम के देहान्त के बाद उसकी पुत्रियो वादीनी सुरती, पालू व प्रतिवादी संख्या 2 जीवणी ने अपने पिता की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1663 में अपने हकतर्क अपने भाई प्रतापाराम के पक्ष करा दिये थे ओर वे अपने ससुराल चली गई थी कुशलाराम बीरा के देहान्त के बाद उनके सभी क्रिया कर्म प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापाराम द्वारा पुत्र कि तरह किये थे। कुशलाराम की कदीमी ढाणी में प्रतापाराम उसके गोदपुत्र की हैसियत से रहता था जो आज दिन रहता आया है। वादीगण का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा कास्त नही था न आज दिन ही हैं। रकबा 53 बीघा भूमि का बेचान मालाराम, पांचाराम व कोशलाराम तीनो द्वारा किया गया था उसी कारण शेष

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

जमीन के तीनों के नाम दर्ज किये गये थे जो विधिवत दर्ज किये गये थे। प्रतिवादी सं. 1 प्रतापाराम को कुशलाराम ने बचपन में ही गोद ले लिया था जो गोदपुत्र की हैसियत से उसके साथ रहता था मगर गौदनामा की लिखापढी नहीं होने से उसके देहान्त के बाद बीरा पत्नि कुशलाराम ने दिनांक 23.8.77 को एक गोदनामा स्टाम्प पर तहरीर कर दिया जिसके आधार पर कुशलाराम के देहान्त होने पर उसका फौतेदगी नामान्तरणकरण संख्या 366 विधिवत प्रतापाराम के नाम स्वीकृत किया गया था। प्रतापाराम कुशलाराम के गोद जाने की वजह से ही उसके कुदरती पिता पांचाराम के फौत होने पर उसके फौतेदगी नामान्तरकरण में उसका नाम दर्ज नहीं किया गया था। नामान्तरकरण संख्या 366 ग्राम पंचायत द्वारा वादीगण को सूचना व सुनवाई का मौका देकर स्वीकृत किया था। वादीगण ने ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर अपने पिता की भूमि में अपना हकतर्क गोदपुत्र प्रतापाराम के पक्ष में हकतर्क स्वीकार किया था तब स्वीकृति दी गई थी। वादीगण अपने अपने ससुराल में रहती है उनका कोई कब्जा काश्त उक्त भूमि पर नहीं है। प्रतापाराम पाचाराम का कुदरती पुत्र है मगर पांचाराम के फौतेदगी म्यूटेशन में उसके नाम नहीं लिखा गया क्योकि वह कुशलाराम के गोद चला गया था। कुशलाराम के देहान्त के बाद उसकी बैवा बीरा द्वारा दिनांक 23.8.77 को गोदनामा स्टाम्प तहरीर किया गया था जिसकी नकल पेश है जो विधिवत तहरीर किया गया था। प्रतिवादी संख्या 3 जीवनी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापाराम के पक्ष में सहमती का घोषणा पत्र तहरीर किया गया था जिसमे तीनों बहनो द्वारा प्रतापाराम के पक्ष में हकतर्क करना स्वीकार किया गया है। नामान्तरणकरण संख्या 366 विधिवत स्वीकृत किया गया था जो कत्तई निरस्त नहीं। किया जा सकता है। दिनांक 16.6.1975 को 53 बीधा का बेचान कुशलाराम पांचाराम व मालाराम तीनों द्वारा भैराराम, भगवानाराम व सहीराम को की गई थे इसी कारण शेष भूमि में तीनों के नाम दर्ज किये थे। 53 बीघा भूमि अकेले कुशलाराम की नहीं है। पाचाराम द्वारा अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने पर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के यहाँ रहन रखकर लोन प्राप्त किया है जो सही प्राप्त किया गया है। खसरा नम्बर 1663 रकबा 106 बीघा भूमि कुशलाराम व नाराराम के नाम पर्चा लगान में दर्ज थी जो उनके वारिसान के नाम दर्ज की गई। दिनांक 16.6.1975 को कुशलाराम, पाचाराम व मालाराम द्वारा 53 बीघा भूमि को बेचान भैराराम, भगवानाराम सहीराम को कर दिया गया। अगर वह बैचान कुशलाराम के द्वारा करना नहीं माना जाता है तो शेष 53 बीघा भूमि कुशलाराम के गोदपुत्र प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापाराम के नाम होनी मानी जायेगी। वादीगण उक्त भूमि में अपना हकतर्क प्रतिवादी संख्या 1 के हक में कर अपने अपने ससुराल चली गई उक्त भूमि पर उनका कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा न आज दिन ही है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त कुशलाराम के जीवनकाल से शान्तिपूर्वक लगातार चला आ रहा है। कुशलाराम की कदीमी रहवासी ढाणी में यही बाल बच्चों सहित रहवास करता आया है। दिनांक 25.8.10 को न तो वादीगण निदान करने आई न प्रतिवादी ने धमकी दी तमाम तथ्य मनघंडत व मिथ्या है। वादीगण उक्त भूमि अपने नाम की खातेदारी घोषित करवाकर दर्ज करवाने कतई हकदार नहीं है।

प्रतिवादी की और से वाद का विरोध होने से तनकीयात निम्नानुसार कायम की गयी।

1. आया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1663 रकबा 53–00 बीघा भूमि ग्राम कानासर के खातेदार प्रतिवादीगण सं. 1, 3 व 4 का नाम राजस्व इन्द्राजात में निरस्त करवाने के अधिकारी है?

   जिम्मे वादीगण

2. आया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1663 रकबा 53–00 बीघा ग्राम कानासर के पूर्व खातेदार कुशलाराम की पुत्रीयां वादीगण होने से वादीगण को खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है?

   जिम्मे वादीगण

3. आया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1663 के पूर्व खातेदार कुशलाराम का प्रतिवादी सं. 1 गोदपुत्र होने से वादीगण का वाद खारिज योग्य है?

   जिम्मे प्रतिवादी सं. 1

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

गया विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1663/1 रकबा 53–00 बीघा भूमि का बैचान कुशलाराम पांचाराम व मालाराम तीनों के द्वारा किया गया होने से वादीगण का वाद खारिज योग्य है?

5. दादरसी?

जिम्मे प्रतिवादी सं. 1

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में निम्न गवाहन पेश किये। PW-I भंवरलाल पुत्र लखूराम, PW-2 सुगनाराम पुत्र हरूराम, PW-3 पालू पुत्री कुशलाराम के बयान कलमबद्व कर शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने गवाहन प्रतापाराम के साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुऐ कहा कि वादीगण के पिता कुशला वल्द खेता व नारा वल्द हरखा की सामलाती खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1663 रकबा 106 बीघा सरहद मौजा कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। जिसका पर्चा लगान वक्त सेटलमेंट कुशला व नारा के नाम जारी हुआ। कुशला व नारा दोनो फौत हो चुके है उनकी वंशावलीयां वाद पत्र में दर्शायी अनुसार है। नाराराम फौत होने पर उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में नाराराम के 1/2 हिस्से के स्थान पर पांचाराम व मालाराम का नाम राजस्व रेर्उ में दर्ज किया गया। इस प्रकार उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 3 पांचाराम व 4 मालाराम 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता कुशलाराम की दर्ज हुई। प्रतिवादी सं. 3 पांचाराम व 4 मालाराम ने अपने 1/2 हिस्से की रकबा 53 बीघा भूमि पूरी दिनांक 16.06.1975 को जरिये रजिस्ट्री भैराराम भगवानाराम सहीराम पिसरान आदुराम विश्नोई निवासी लोहावट को बैचान कर दी जो 53 बीघा भूमि नामान्तरकरण सं. 51 मौजा कानासर के जरिये खरीदारान भैराराम, भगवानाराम, सहीराम के नाम अलग से नये खसरा नम्बर 1663/1 रकबा 53 बीघा कायम होकर अलग से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। खसरा नम्बर 1663 की शेष रही 53 बीघा भूमि कुशला पुत्र खेता के हिस्से की रही जिसमें प्रतिवादी सं. 3 व 4 का पांचाराम व मालाराम का कोई हक हिस्सा नहीं रहा। कुशला फौत हो चुका है उसके उतराधिकारी एवं वारिसान उपरोक्त वंशावली अनुसार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की प्रथम श्रेणी के तहत उसकी जायन्दा पुत्रीयां वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 ही है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 के अलावा अन्य कोई भी शख्स मुतवफी कुशलाराम का उतराधिकारी व वारिस नहीं है इसलिये मुतवफी कुशलाराम की खातेदारी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 1663 रकबा 53 बीघा मौजा कानासर की कानूनी हकदार वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 है जो कुशलाराम फौत होने के बाद उक्त भूमि पर काबिज हुई जिनका कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है मौके पर वादीगण की उक्त भूमि में अपने पिता स्व. कुशलाराम के जीवनकाल की बहुत ही पुरानी रहवासी ढाणी बनी हुई है जिसमें वादीगण अपने परिवार सहित 12 ही मास निवास करती आ रही है और उक्त भूमि खसरा नम्बर 1663 रकबा 53 बीघा में आज दिन तक लगतार हर वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेती आ रही है। खसरा नम्बर 1663 की उक्त 53 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं. 3 पांचाराम व 4 मालाराम का कोई हक हिस्सा नही रहा लेकिन उन्होने अपने हिस्से की पूरी भूमि बैचान कर दिये जाने के बावजूद भी शेष रही उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में पटवारी हल्का से मिलावट कर पूर्व अनुसार यथावत दर्ज रखवा दिये जो सरासर गलत होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध बेअसर व शुन्य है। प्रतिवादी सं. 1 प्रतापाराम जो कि प्रतिवादी सं. 3 पांचाराम पुत्र नाराराम का जाईन्दा पुत्र है जिसका कुशलाराम की हिस्से की उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है न ही व कुशलाराम का गोद अथवा जाईन्दा पुत्र ही है और न ही वह कुशलाराम का कानूनी वारिस ही है। उक्त भूमि कुशलाराम की खातेदारी की जमीन है कुशलाराम फौत होने के बाद उक्त भूमि की कानूनी हकदार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रथम श्रेणी के तहत उसकी कानूनी वारिस उसके जाईन्दा पुत्रीयां वादीगण प्रतिवादी सं. 2 ही है लेकिन वादी के पिता कुशलाराम फौत होने पर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ने पटवारी हल्का से मिलावट कर प्रतिवादी सं. 1 प्रतापाराम को कुशलाराम का नामान्तरकरण के खाना नं. 11 में पुत्र बताकर व बाद में कांट छांट कर प्रतापाराम के आगे अलग स्याही से गोद

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

नामान्तरकरण के विशेष विवरण के खाना में प्रतापाराम को कुशलाराम का सगा भतीजा व वारिस बताकर कुशलाराम के फौतदगी का उक्त भूमि का नामान्तरकरण सं 366 मौजा कानासर प्रतिवादी सं. 1 के हक में भरकर स्वीकृत करवा लिया जो सरासर गलत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत और फर्जीवाड़ा की विनाय पर आधारित होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध बेअसर व शुन्य है। नामान्तरकरण सं. 366 मौजा कानासर स्वीकृत करने से पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कानासर ने मुतवफी कुशलाराम के हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत सही वारिसान की कोई जांच नहीं की न ही उसकी कानूनी वारिस उसकी जाईन्दा पुत्रीयां वादीगण को कोई नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया न ही उक्त भूमि के कब्जे बाबत कोई जांच की नामान्तरकरण सं. 366 मौजा कानासर की स्वीकृत बाबत तमाम कार्यवाही वादीगण के बैक में फर्जी की है। मुतवफी कुशलाराम की हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की प्रथम श्रेणी के तहत उतराधिकार व वारिसान उसकी जाईन्दा पुत्रीया वादीगण प प्रतिवादी सं. 2 ही है जो कुशलाराम फौत होने के बाद उक्त भूमि पर काबिज हुई जिनका कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 1 प्रतापाराम जो कि मुतवफी कुशलाराम का गोद अथवा जाईन्दा पुत्र नहीं है न ही वह कुशलाराम का भतीजा अथवा नजदीकी रिश्तेदार ही है। प्रतापाराम प्रतिवादी सं. 3 पांचाराम पुत्र नाराराम का जाईन्दा पुत्र है जिसे मुतवफी कुशलाराम ने अपने जीवनकाल में कभी भी गोद नहीं लिया न ही उसके हक में विधि अनुसार कोई गोदनामा ही तहरीर किया है और न ही कभी भी गोद लेने अथवा देने की कोई रस्म ही अदा की गई और न ही एसा कोई गोदनामा प्रभाव में ही है अगर प्रतिवादी सं. 1 पास ऐसा कोई गोदनामा है तो यह सरासर फर्जी है जिसकी कानूनी कोई अहमीयत नहीं है और न ही प्रतिवादी सं. 1 उक्त भूमि पर आज दिन तक भी भी कब्जा व काश्त ही रहा है। प्रतिवादी सं. 1 प्रतापाराम मुतवफी कुशलाराम का कोई उतराधिकारी वारिस नहीं है इसलिये उक्त नामान्तरकरण सं. 366 मौजा कानासर सरासर गलत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत प्रचलित नामान्तरकरण की प्रकिया के साधारण नियमों के खिलाफ और प्राकृतिक एवं नैर्सिगक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होने से काबिल खारिज के है। उक्त भूमि के वर्तमान गलत व विधि विरूद्ध राजस्व ईन्द्राजात की आड में प्रतिवादी सं. 1 तथा 3 से 5 वादीगण को उक्त भूमि से जोर जबरदस्ती बेदखल करने पर उतारू है जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है अपने इसी नापाक इरादे से अभी दिनांक 25.08.2010 को वादीगण उक्त भूमि में खड़ी फसल बाजरी, ग्वार, तिल का निदान कर रही थी कि प्रतिवादीगण सं. 1 तथा 3 से 5 हाथों में लाठीया लेकर हमलावर होके उक्त भूमि में आये और वादीगण को निदान करने से मना किया तथा उक्त भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की उस दिन तो वादीगण ने उन्हे समझा बुझाकर निकाल दिया लेकिन जाते समय प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी है ये जमीन वर्तमान राजस्व रेकर्ड में हमारे नाम दर्ज है इसलिए जमीन का कब्जा छोड़ दो वरना हम तुम्हे जोर जबरदस्ती बेदखल करके बलपूर्वक कब्जा करके रहेंगे। इसलिये वर्तमान अनुसार उक्त भूमि राजस्व रकर्ड में दर्ज रहते वादीगण का अब उक्त भूमि से काश्त करना कठीन हो गया है इसलिये वादीगण दावेदार है वे उक्त भूमि खसरा नम्बर 1663 रकबा 53 बीघा मौजा कानासर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 के नाम से राजस्व ईन्द्राजात निरस्त करवाने तथा प्रतिवादी सं. 1 के हक में भरा जाकर स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण सं. 366 मौजा कानासर और उसके बाद के प्रतिवादीगण सं. 1 तथा 3 व 4 के नाम के तमाम राजस्व इन्द्राजात एवम प्रतिवादी सं. 5 के नाम के रहन दर्ज किये जाने के इन्द्राजात निरस्त करवाकर उक्त भूमि ग्राम कानासर के खसरा नम्बर 1663 रकबा 53 बीघा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 खातेदार घोषित किया जावे। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी बहस में जवाब दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि कुशला के कोई पुत्र नहीं होने से उसने अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी स० 1 प्रतापाराम को गोद ले लिया था जी कुशला का गोद पुत्र है। नारायणराम के फौत होने पर उसके स्थान पर पांचाराम व मालाराम के नाम दर्ज किये गये। रकबा 53 बीधा भूमि का बैचान दिनाक 16/6/1975 को पांचाराम, मालाराम व कुशलाराम तीनों द्वारा किया गया था जिसके आधार पर भैराराम

भगवानाराम व सहीराम के नाम खातेदारी दर्ज की गई थी। ख.० न० 1663 की शेष 53 बीघा भूमि अकेले कुशला की नहीं रहकर पांचाराम, मालाराम व कुशलाराम की तीनो की रही थी। कुशला ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी स० 1 प्रतापा को गोद पुत्र ले लिया था जिसका गोदनामा दिनांक 23.8.77 को बीरा बैवा कुशलाराम द्वारा स्टाम्प पर तहरीर किया गया जिसकी नकल पेश है। कुशलाराम के देहान्त के बाद उसकी पुत्रियो वादीनी सुरती, पालू व प्रतिवादी स० 2 जीवणी ने अपने पिता की खातेदारी की भूमि ख० न० 1663 में अपने हकतर्क अपने भाई प्रतापाराम के पक्ष करा दिये थे ओर वे अपने ससुराल चली गई थी कुशलाराम बीरा के देहान्त के बाद उनके सभी क्रिया कर्म प्रतिवादी स० 1 प्रतापाराम द्वारा पुत्र कि तरह किये थे। कुशलाराम की कदीमी ढाणी में प्रतापाराम उसके गोदपुत्र की हैसियत से रहता था जो आज दिन रहता आया है। वादीगण का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा कास्त नही था न आज दिन ही हैं। 53 बीघा भूमि का बेचान मालाराम, पांचाराम व कोशलाराम तीनो द्वारा किया गया था उसी कारण शेष जमीन के तीनों के नाम दर्ज किये गये थे जो विधिवत दर्ज किये गये थे। प्रतिवादी सं. 1 प्रतापाराम को कुशलाराम ने बचपन में ही गोद ले लिया था जो गोदपुत्र की हैसियत से उसके साथ रहता था मगर गौदनामा की लिखापढी नहीं होने से उसके देहान्त के बाद बीरा पत्नि कुशलाराम ने दिनांक 23.8.77 को एक गोदनामा स्टाम्प पर तहरीर कर दिया जिसके आधार पर कुशलाराम के देहान्त होने पर उसका फौतेदगी नामान्तरणकरण स० 366 विधिवत प्रतापाराम के नाम स्वीकृत किया गया था। प्रतापाराम कुशलाराम के गोद जाने की वजह से ही उसके कुदरती पिता पांचाराम के फौत होने पर उसके फौतेदगी नामान्तरकरण में उसका नाम दर्ज नहीं किया गया था। नामान्तरकरण सं. 366 ग्राम पंचायत द्वारा वादीगण को सूचना व सुनवाई का मौका देकर स्वीकृत किया था। वादीगण ने ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर अपने पिता की भूमि में अपना हकतर्क गोदपुत्र प्रतापाराम के पक्ष में हकतर्क स्वीकार किया था तब स्वीकृति दी गई थी। वादीगण अपने अपने ससुराल में रहती है उनका कोई कब्जा कास्त उक्त भूमि पर नहीं है। प्रतापाराम पाचाराम का कुदरती पुत्र है मगर पांचाराम के फौतेदगी म्यूटेशन में उसके नाम नहीं लिखा गया क्योकि वह कुशलाराम के गोद चला गया था। कुशलाराम के देहान्त के बाद उसकी बैवा बीरा द्वारा दिनांक 23.8.77 को गोदनामा स्टाम्प तहरीर किया गया था जिसकी नकल पेश है जो विधिवत तहरीर किया गया था। प्रतिवादी स० 3 जीवनी द्वारा प्रतिवादी स० 1 प्रतापाराम के पक्ष में सहमती का घोषणा पत्र तहरीर किया गया था जिसमे तीनों बहनो द्वारा प्रतापाराम के पक्ष में हकतर्क करना स्वीकार किया गया है। नामान्तरणकरण स० 366 विधिवत स्वीकृत किया गया था जो कत्तई निरस्त नहीं। किया जा सकता है। दिनांक 16.6.1975 को 53 बीघा का बेचान कुशलाराम पांचाराम व मालाराम तीनों द्वारा भैराराम, भगवानाराम व सहीराम को की गई थे इसी कारण शेष भूमि में तीनों के नाम दर्ज किये थे। 53 बीघा भूमि अकेले कुशलाराम की नहीं है। पाचाराम द्वारा अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने पर उक्त भूमि प्रतिवादी स० 5 के यहाँ रहन रखकर लोन प्राप्त किया है जो सही प्राप्त किया गया है। खसरा नम्बर 1663 रकबा 106 बीघा भूमि कुशलाराम व नाराराम के नाम पर्चा लगान में दर्ज थी जो उनके वारिसान के नाम दर्ज की गई। दिनांक 16.6.1975 को कुशलाराम, पाचाराम व मालाराम द्वारा 53 बीघा भूमि को बचान भैराराम, भगवानाराम सहीराम को कर दिया गया। अगर वह बैचान कुशलाराम के द्वारा करना नहीं माना जाता है तो शेष 53 बीघा भूमि कुशलाराम के गोदपुत्र प्रतिवादी स० 1 प्रतापाराम के नाम होने मानी जायेगी। वादीगण उक्त भूमि में अपना हकतर्क प्रतिवादी सं० 1 के हक में कर अपने अपने ससुराल चली गई उक्त भूमि पर उनका कभी भी कब्जा कास्त नहीं रहा न आज दिन ही है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी स० 1 का कब्ज कास्त कुशलाराम के जीवनकाल से शान्तिपूर्वक लगातार चला आ रहा है। कुशलाराम की कदीमी रहवासी ढाणी में यही बाल बच्चों सहित रहवास करता आया है। दिनांक 25.8.10 को न तो वादीगण निदान करने आई न प्रतिवादी ने धमकी दी तमाम तथ्य मनघंडत व मिथ्या है। वादीगण उक्त भूमि अपने नाम की खातेदारी घोषित करवाकर दर्ज करवाने कतई हकदार नहीं है।

10/2/15

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी, नक्शा ट्रैस का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण का निर्णय तनकीवार निम्नानुसार है:–

तनकी नम्बर 1 आया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1663 रकबा 53–00 बीघा भूमि ग्राम कानासर के खातेदार प्रतिवादीगण सं. 1, 3 व 4 का नाम राजस्व इन्द्राजात में निरस्त करवाने के अधिकारी है?

जिम्मे वादीगण

तनकी नम्बर 1 निर्णय इस प्रकार है ग्राम कानासर के खसरा नम्बर 1663 रकबा 106–00 बीघा भूमि नारा वल्द हरखा, कुशला वल्द किता के नाम दर्ज थी। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 कुशला वल्द किता की जायन्दा पुत्रियां है लेकिन नामान्तरकरण संख्या 377 के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरासत नामान्तरकरण के दर्ज हुई। जबकि कुशलाराम के वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 है जो नामान्तरकरण संख्या 711 मौजा कानासर से साबित है। उक्त नामान्तरकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादीगण को खातेदार को अन्य खसरान् की भूमि में घोषित किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहन ने भी उपरोक्त वर्णित तथ्यों का अपनों साक्ष्य में कथन किया है। उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 आया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1663 रकबा 53–00 बीघा ग्राम कानासर के पूर्व खातेदार कुशलाराम की पुत्रीयां वादीगण होने से वादीगण को खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है?

जिम्मे वादीगण

तनकी नम्बर 2 का निर्णय इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि जरिये विरासत से प्राप्त हुई थी। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 पांचाराम का पुत्र था। कुशलाराम के नाम अन्य खसरा नम्बर प्रतापाराम के नाम दर्ज हो गये थे जो भूमि जरिये डिक्री वादीगण को प्राप्त हुई थी। उक्त डिक्री के विरूद्व किसी प्रकार की चाराजोही प्रतापाराम ने नहीं की थी जिससे यह साबित होता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 कुशलाराम की पुत्रियां है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहन ने भी उपरोक्त वर्णित तथ्यों का अपनों साक्ष्य में कथन किया है। उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 आया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1663 के पूर्व खातेदार कुशलाराम का प्रतिवादी सं. 1 गोदपुत्र होने से वादीगण का वाद खारिज योग्य है?

जिम्मे प्रतिवादी सं. 1

तनकी नम्बर 3 का निर्णय इस प्रकार है कि उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया न ही उक्त तनकी को साबित करने के लिए को मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। जिससे यह साबित हो सके कि प्रतिवादी संख्या 1 कुशलाराम का गोदपुत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा गवाहन का शपथ पत्र के साथ आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की है जिसमें भी उल्लेख किया गया है कि प्रतापाराम पुत्र पांचाराम अंकित है। उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 4 आया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1663/1 रकबा 53–00 बीघा भूमि का बैचान कुशलाराम पांचाराम व मालाराम तीनों के द्वारा किया गया होने से वादीगण का वाद खारिज योग्य है?

जिम्मे प्रतिवादी सं. 1

तनकी नम्बर 4 का निर्णय इस प्रकार है कि नामान्तरकरण संख्या 51 मौजा कानासर में बेचान के बाद शेष रही भूमि कौशलाराम पुत्र किताराम की रही जो उक्त नामान्तरकरण से साबित है। उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व निर्णित की जाती है।

10/2/22

सहायक कलेक्टर

पत्रावली के संलग्न मिसल बन्दोबस्त, नामान्तरकरणों, जमाबंदी के अनुसार ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 1663 रकबा 106–00 बीघा भूमि नारा वल्द हरखा, कौशला वल्द किरता के नाम दर्ज थी। नारा के वारिसान ने अपना 1/2 हिस्सा भैराराम, भगवानाराम, सहीराम पिता आदूराम को नामान्तरकरण संख्या 51 के जरिये बेचान कर दी थी जिनका खाता राजस्व रेकर्ड में अलग कायम कर दिया गया जिसके खसरा नम्बर 1663/1 रकबा 53–00 बीघा दर्ज किया गया। शेष रही भूमि कौशला वल्द खेता के हिस्से की थी जो नामान्तरकरण संख्या 51 से साबित है। खसरा नम्बर 1663 रकबा 53–00 बीघा भूमि गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 3, 4 के नाम गलत रूप से दर्ज की गयी। नामान्तरकण संख्या 377 के जरिये कुशलाराम के हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गयी जबकि प्रतिवादी संख्या 1 पांचाराम का जायन्दा पुत्र है जो प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड की चित्र प्रति से साबित है। प्रतिवादी संख्या 1 ने कुशलाराम के गोद पुत्र होने का प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। उक्त भूमि के अलावा अन्य खसरान् की भूमि भी जरिये डिक्री वादीगण के नाम दर्ज की गयी। जो नामान्तरकरण संख्या 711 की चित्र प्रति से प्रमाणित है। वादीगण का वाद दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया राजस्व ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 1663 रकबा 53–00 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना करावे। इसी माफिक प्राथमिक डिगरी पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो और फैसल सुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

10/2/25

(सुखराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

वादीगण

1. सुरती पत्नि कुशलाराम के
   कायम मुकाम
   1/1 श्रीकिशन पुत्र लाधूराम
   1/2 मोहनराम पुत्र लाधूराम
   1/3 नवरंग पुत्र लाधूराम
   1/4 धाई देवी पुत्री लाधूराम
   1/5 शांति पुत्री लाधूराम
   1/6 चावली देवी पुत्री लाधूराम
   1/7 सपु पुत्री लाधूराम
2. पालू पुत्री कुशलाराम
   पत्नि सालगराम जाति विश्नोई
   निवासी कानासर तहसील बाप
   जिला जोधपुर हाल निवासी
   फूलासर तहसील कोलायत
   जिला बीकानेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. प्रतापाराम पुत्र पांचाराम
   (रिकर्ड में दर्ज गोदपुत्र
   कुशलाराम)
2. जीवणी पुत्री कुशलाराम
   पत्नि गणपतराम विश्नोई
   निवासी कानासर
   हाल निवासी ननेऊ
3. पांचाराम पुत्र नारा फौत
   के उतराधिकारी एवं वारिसान
   3/1 बगडूराम पुत्र पांचाराम
   3/2 सहीराम पुत्र पांचाराम
   3/3 भवंरूराम पुत्र पांचाराम
   3/4 भाखरराम पुत्र पांचाराम
   3/5 प्रतापाराम पुत्र पांचाराम
   3/6 तुलसी पत्नि पांचाराम
4. मालाराम पुत्र प्रहलादराम
   सभी जाति विश्नोई
   निवासी कानासर तहसील बाप
   जिला जोधपुर
5. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.
   शाखा नोख जैसलमेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 105/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व ओमप्रकाश गोदारा मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 1663 रकबा 53–00 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना करावे।नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.02.2025 को जारी की गई।

10/2/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

10/2/25